(13+)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 16/2009–10

बाबुराम मुर्मू ..... आवेदक

बनाम

लाल कमल टुडू ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

26/04/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 16/2009–10 बाबुराम मुर्मू बनाम् लाल कमल टुडू, मौजा खापचुआँ, अंचल जरमुंडी के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के रे0मि0 वाद सं0 293/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2008 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के दाग सं0 146 कुल रकवा 26 बीघा 15 कठ्ठा 17 धूर जो सर्वे खतियान में परती कदी बोलकर दर्ज है। उक्त दाग में आवेदक को मौजा के प्रधान से बंगला साल 1399 यानि वर्ष 1992 में 02 (बीघा) 04 (चार) कठ्ठा जमींन पट्टा द्वारा बन्दोबस्ती मिली है जिसका उनके द्वारा खंडित कर जोत आबाद किया जाता है एवं लगान का भुगतान किया जाता है। उक्त दाग को वर्त्तमान सर्वे में 221 एवं 222 के रूप में अंकित किया गया है। किन्तु विपक्षी द्वारा बंगला साल 14 फाल्गुन 1358 को प्रधान द्वारा निर्गत फर्जी एवं जाली पट्टा के आधार पर उक्त जमींन में तीन बीघा जमींन का सीमांकन निम्न न्यायालय द्वारा करा लिया गया है। इस पर कोर्ट अमींन द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है। उक्त जमींन पर वर्त्तमान सर्वे के खानापुरी एवं तसदीक में विपक्षी का दावा नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः इसे विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक जिस जमींन का दावा करते है उन्हें कोई बन्दोबस्ती नहीं मिली है। भले ही वर्त्तमान में यह जमींन झारखण्ड सरकार के नाम से दर्ज है। किन्तु विपक्षी के साथ प्रधान द्वारा बन्दोबस्ती की गई है तथा वर्त्तमान में बन्दोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में इस संबंध में मामला लंबित है। प्रश्नगत बन्दोबस्ती जमींन की पट्टा सम्पुष्टि हेतु आवेदन नहीं किया गया है, बल्कि सीमांकन हेतु दिया गया है जो सं0प0 काश्तकारी रूल्स 13(7) में निहित संथाल सिविल रूल्स के अनुसार है किन्तु इसपर आवेदक द्वारा आपत्ति एवं दावा करते है जो गलत है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाय।

आवेदक के ओर से प्रधान द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती पट्टा तीन प्रति में लगान रसीद एवं वर्त्तमान सर्वे के अनाबादी खाता की सच्ची

प्रति की छायाप्रति दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्हें उक्त दाग में दो बीघा जमींन की बन्दोबस्ती मिली है किन्तु वर्त्तमान में प्रश्नगत दाग परती कदीम बोलकर दर्ज है। विपक्षी की ओर से प्रधान द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा, लगान रसीद, अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका के न्यायालय के क्रिमिनल वाद सं0 192/2009 में पारित आदेश एवं इसके विरूद्ध में दायर सेशन जज, दुमका के क्रिमिनल रिविजन वाद सं0 67/2009 में पारित आदेश की सच्ची प्रति की छायाप्रति, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, आपत्ति न्यायालय, जरमुंडी "बी" के न्यायालय में आपत्ति वाद सं0 10/2006 में पारित आदेश की सच्ची प्रति का छायाप्रति दाखिल किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को भी उक्त दाग में प्रधान द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा निर्गत है एवं प्रश्नगत जमींन पर धारा 144 द0स0प्र0 अन्तर्गत दायर वाद में अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं सेशन जज द्वारा विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। साथ ही सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, आपत्ति न्यायालय, जरमुंडी "बी" के न्यायालय में आवेदक के दावों को खारिज किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन पर विपक्षी का दखल कब्जा है। आवेदक का दावा निराधार प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।